

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 119 सन 2020

अनवान :-

1. जीतराम पुत्र खिराज जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 18/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790 हैक में वादी का 853/3441 हिस्सा , रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150में 1/3 हिस्सा , व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280 है में वादी का 12643/175280 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम रणजीत/जीताराम पुत्र खिराज दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जीतराम वल्द खिराज है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जीतराम वल्द खिराज है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम जीतराम वल्द खिराज दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणजीत/जीताराम भिन्न भिन्न दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रणजीत/जीताराम के स्थान पर जीतराम पुत्र खिराज संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790 हैक में वादी का 853/3441 हिस्सा , रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150में 1/3 हिस्सा , व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280 है में वादी का 12643/175280 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम रणजीत/जीताराम पुत्र खिराज दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम जीतराम वल्द खिराज है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम जीतराम वल्द खिराज है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्डाधिकारी  
नोहर

नाम जीतराम वल्द खिराज दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणजीत/जीताराम भिन्न भिन्न दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790 हैक में वादी का 853/3441 हिस्सा, रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150 में 1/3 हिस्सा, व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280 हैक में वादी का 12643/175280 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम रणजीत/जीताराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय जीतराम के स्थान पर रणजीत/जीताराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम जीतराम वल्द खिराज दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मैना होना प्रतित होता है वादी ने अपने नाम के संशोधन के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत देईदास का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जिसके अनुसार वादी का सही नाम जीतराम है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत कानसर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790 हैक में वादी का 853/3441 हिस्सा, रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150 में 1/3 हिस्सा, व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280 हैक में वादी का 12643/175280 हिस्सा में दर्ज रणजीत पुत्र खिराज, जीताराम वल्द खिराज अंकित है के स्थान पर क्रमशः जीतराम उर्फ रणजीत पुत्र खिराज, जीतराम उर्फ जीताराम पुत्र खिराज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2029 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. जीतराम पुत्र खिराज जाति जाट निवासी ढाणीलालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 119 सन 2020 निर्णय दिनांक-10/9/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 20/17 की कुल 3.5790 है व में वादी का 853/3441 हिस्सा, रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150 में 1/3 हिस्सा, व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280 है में वादी का 12643/175280 हिस्सा में दर्ज रणीजत पुत्र खिराज, जीताराम वल्द खिराज अंकित है के स्थान पर जीतराम उर्फ रणीजत पुत्र खिराज, जीतराम उर्फ जीताराम पुत्र खिराज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)  
नोहर